इजराय प्रकरण कमांक 126/22

दरवारीलाल शुक्ला बगैरह बनाम तेजराम अहिरवार बगैरह

आदेश दिनांक 02.09.2024

अवार्डधारी द्वारा श्री सुरेंद्र तिवारी अधिवक्ता उपस्थित।

मदयूनगण द्वारा श्री बी एम समारी अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण आवेदन पर विचार हेतु नियत है।

अवार्डधारी एवं मदयूनगण तेजराम अहिरवार व नाथूराम अहिरवार की ओर से दिनांक 31.08.2024 को एक आवेदन इस आशय का पेश किया है कि उक्त इजराय प्रकरण इस न्यायालय के समक्ष क्षतिपूर्ति राशि वसूली हेतु नियत है। उक्त इजराय प्रकरण में क्षतिपूर्ति राशि मदयूनगण से नगद दो लाख रूपए प्राप्त कर लिए हैं। क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो जाने से अवार्डधारी उक्त इजराय प्रकरण में पूर्ण संतुष्टि में समाप्त कराना चाहता है। उक्त इजराय प्रकरण को पूर्ण संतुष्टि में समाप्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

आवेदन पर सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किए जाने से दर्शित होता है कि अवार्डधारीगण के द्वारा अधिकरण के अवार्ड दिनांक 30.03.2022 के पालन में क्षतिपूर्ति राशि की वसूली हेतु यह निष्पादन प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें मदयूनगण के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अवार्डधारी को दो लाख रूपए नगद प्रदान किए गए हैं जिसकी पावती दिनांक 31.08.2024 को आदेश पत्रिका पर ली गयी है। अवार्डधारी की पहचान उनके अधिवक्ता श्री सुरेंद्र तिवारी एवं मदयूनगण की पहचान श्री बी एम समारी अधिवक्ता द्वारा की गयी है। अवार्डधारी के द्वारा उक्त राशि प्राप्त करने के उपरांत पूर्ण संतुष्टि में निष्पादन प्रकरण को समाप्त किए जाने का निवेदन किया गया है। अतः अवार्डधारी एवं मदयूनगण के निवेदन पर इस प्रकरण की कार्यवाही अवार्डधारी की पूर्ण संतुष्टि में समाप्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर मूल अभिलेख अभिलेखागार में दाखिल किया जावे।

प्रकरण की अंतिम आदेश पत्रिका सीआईएस में अपलोड की जावे।

सही/—

(राघबेंद्र कुमार श्रीवास्तव)
प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
के अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा
अधिकरण बिजावर, जिला छतरपुर म.प्र.